

CERTIFICATE OF LANDFile No. 4/Reg/1268/508-23Date: 31/07/2023

Certified that the land measuring 7769.96 Sq mtr (Area of land in Square meters) is owned by the Naib Singh Dhaliwal (Name of the owner) by way of (Sale Deed/ Conveyance Deed / Gift Deed/ Allotment Letter etc.) (In case of allotment of land, if it is not perpetual, periodicity of allotment to be mentioned from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_)

It is further certified that owner of the land has leased the said land to Red Rose Public School (in case of lease / Sub lease only) (Name of the School/Society/Trust/Company under Section 8 of companies Act, 2013) fully described in the schedule mentioned hereinafter with the following details for a period of 30 years from 01/12/2004 to 30/11/2034.

Sl.	Particulars	Details
1.	Plot No. (s)/ Survey No. (s)/Khasra No (s)/Khata No.(s)/Khatauni No.(s)	खकत 215 क Area 0.1700 Hect 215 क Area 0.6070 Hect
2.	Name of street/village, Sub Division, District and State	Gadarapur, Ward No.-5 Dist. U.S. Nagar U.K. 263152

It is certified that the said entire land comprise of a single contiguous plot of land. It is further certified that Red Rose Convent School (Name of the School with name of street, village, sub-division and district) run by name of Red Rose Public School (Society/ Trust/ Company under Section 8 of companies Act, 2013) is located on the said plot of land.

## THE SCHEDULED OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring situated in 7769.96 Sq mtr (area of land in square meters) [Plot No. (s)/Survey No.(s)/ Khasra No. (s)] at Khata no. - 215 क & 215 क (name of street/village, sub division, district and state) and bounded as follows:

North	<u>Naib Singh Dhaliwal</u>
East	<u>Mohd. Ahmeed</u>
West	<u>road</u>
South	<u>Sibte Nabi</u>

लो.रजि.  
1268/508-23

DM/ ADM/ SDM/ TEHSILDAR/ NAIB TEHSILDAR/ REGISTRAR/ SUB- REGISTRAR/EQUIVALENT LAND AUTHORITY

Uphd  
सिंहपाल बाबू  
राजस्व उप निरीक्षक

31/07/23  
(Stamp and Signature of the land authority).

(Name of Officer): देवेन्द्र सिंह विपत(Name of District): गण्डक नदी जिला

The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate.

तहसीलदार  
गदारपुर (ऊधम सिंह नगर)

2000/11/2001

1000Rs.



(1)

विक्रय

5

سید



Handwritten notes in a box:

2001

23/11/2001

Subhan

Manager  
 Red Rose Convent School  
 Godarpur (U.S.Nagar)  
 Phn-263152 School No.81414  
 Affiliation No. 3530182

कि मैं/हमने नीचे लिखे कृषि भूमि का मालिक व काबिज हूँ। मुझको/हमको इस कृषि भूमि का बचन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह इस समय सब प्रकार वयः रहन भार से मुक्त है। मेरे/हमारे अतिरिक्त इस कृषि भूमि का कोई अन्य स्वामी नहीं है। इस कृषि भूमि में मेरा/हमारा कोई साँझीदार नहीं है यह कि मैं/हमने स्वास्थ्य मन एव चित्त से और स्वेच्छा से निम्नलिखित कृषि भूमि को मुकदमा नं० २००००० रुपये शब्दों में दो लाख अस्सी हजार रु० जिसका आधा मुकदमा नं० १६००००० रु० शब्दों में एक लाख चालीस हजार रु० होता है। के बदले में श्री अजायब सिंह व श्री नाथू सिंह पुत्रगण श्री साधू सिंह साकिनान ग्राम वरारवेडा तहसील गदरपुर जिला ऊधमसिंह नगर

- के हाथ बेच दिया है।
1. यह कि मैं/हमने समस्त विक्रय धन क्रेता से पूर्व में प्राप्त कर लिया है।
  2. यह कि मुझको/हमको समस्त विक्रय धन क्रेता से सब रजिस्ट्रार के सामने प्राप्त होना है।
  3. यह मैंने/हमने रु० ० क्रेता से पहले प्राप्त कर लिए हैं। और शेष ० रु० (शब्दों में) ० सब रजिस्ट्रार के सामने प्राप्त करना है। यह कि मैंने/हमने विक्रय अपने समस्त अधिकार स्वत्व और हित का तथा बिना विषय सुरक्षित रखे हुए किया है और समस्त कब्जा हस्तान्तरित कर दिया है। अब मेरा/हमारा या मेरे/हमारे उत्तराधिकारियों का नीचे लिखे कृषि भूमि में कोई अधिकार नहीं रह गया है। यह कि भविष्य में क्रेता अपना अधिकार विक्रेतागण के अधिकार और स्वत्व में किसी दोष के कारण नीचे लिखे कृषि भूमि पर कर न पावे तो विक्रय धन मय हर्जा व खर्चा सहित लौटाने तथा उनको समस्त कानूनी जिम्मेदारी मुझ/हम विक्रेता पर होगी। मुझको/हमको व मेरे/हमारे बारीसान कायम मुकामान का कोई उज्र व ऐतराज न होगा। यह विक्रय पत्र लिपिबद्ध कर दिया जिससे कि प्रमाण रहे। स्टाम्प पत्र कीमती ३००००० रूपया ३१ पन्नों का नस्थी है। विवरण प्लॉट स्थित ग्राम - वरारवेडा परगना व तहसील गदरपुर जिला ऊधम सिंह नगर में है।

तहसील सम्पत्ति का विवरण - खसरा नम्बर २४६ अमिन. रकबा ०.६०७ हेक्टेअर  
विक्रीत कृषि भूमि के हद्दों के पुरख में आराजी मौठ अहमद पाँ  
में नहर, उत्तर में आराजी प्रवीण कुमार व दक्षिण में मुकेश के  
आराजी है।

1. विक्रीत कृषि भूमि सिंचित है तथा सिंचाई नहर से होती है।
2. विक्रीत कृषि भूमि दो फसली है तथा लगान १५-०० रु० वार्षिक है।
3. विक्रीत कृषि भूमि गाम्भीर क्षेत्र में पड़ती है। जिसका जिले के कलक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य ३०००००० रु० प्रति एकड़ है।
4. विक्रीत कृषि भूमि में कोई पेड़ बोसिंग निर्माण नहीं है।
5. विक्रीत कृषि भूमि जो रोड फिटी चौड़ी से लगभग दूरी पर स्थित है
6. विक्रीत कृषि भूमि का पूर्व में विक्री का कोई अनुबन्ध नहीं हुआ है/हुआ है न-
7. विक्रीत अनुसूचित जाति/जनजाति का नहीं है।
8. विक्रीत कृषि भूमि/कृषि / औद्योगिक प्रयोजन की है।
9. विक्रीत कृषि भूमि निकटतम इंटर कालिज से लगभग १ 1/२ कि० मी० दूरी पर स्थित है।
10. विक्रीत कृषि भूमि नगरपालिका सीमा में ९ कि० मी० दूरी पर स्थित है। न. पा० सीमा से बाहर है।

ह० विक्रेता अजायब सिंह पुत्र श्री  
साधू सिंह साकिनान गदरपुर  
 ह० साक्षी व पूरा पता श्री मनोज कुमार पुत्र श्री  
सुभाष चन्द साठ-शा. वि० का लोकी गदरपुर  
 आज दिनांक १०-१०-२००९ को व इकरार मुकेश/मुकेशनन व  
 कित्तावत मि. लोका. कु. मार द्वारा लिपिबद्ध किया गया।

ह० व मोहर  
 दस्तावेज लेखक  
 Manager  
 Red Rose Convent School  
 Gadarpur (U.S.Nagar)  
 Ph- 263152 School No.81414  
 Affiliation No. 3530182



विक्रय पत्र (कृषिक)

गजराज लाल (सं) 20/11/02  
 गांधी पुराना 2152/01  
 दिनांक 20/11/02  
 गांधी पुराना



श्री  
 गजराज लाल



Subhan  
 Manager  
 Red Rose Convent School  
 Gadarpur (U.S. Nagar)  
 Pin- 263152 School No. 81414  
 Affiliation No. 3530182

# विक्रय पत्र (कृषिक)

बैनामा वा 0 मू स्टाम्प आ 0 वि 0 शुल्क कुल योग  
 यह कि मैं/हम

यह कि मैं/हम नीचे लिखे कृषि भूमि का मालिक व कावेज हूँ। गुडाको/हमको इस कृषि भूमि को बेचने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह इस समय सब प्रकार वयः रहन भार से मुक्त है। मेरे/हमारे अतिरिक्त इसकृषि भूमि का कोई अन्य स्वामी नहीं है। इस कृषि भूमि में मेरा/हमारा कोई साँझीदार नहीं है यह कि मैंने/हमने स्वार्थ्य मन एव विल से और स्वेच्छा से निम्नलिखित कृषि भूमि को ₹ 000000 रूपये शब्दों में एक लाख रु 0 जिराका आधा ₹ 00000 रु 0 शब्दों में पचास हजार रु 0 होता है। के बदले में श्री नाथ सिंह पुत्र

श्री साधु सिंह निवासी बराखड़ा तहसील गदरपुर जिला इधमसिंह नगर

के हाथ बेव दिया है।

1. यह कि मैंने/हमने समस्त विक्रय धन क्रेता से पूर्व में प्राप्त कर लिया है।
2. यह कि गुडाको/हमको समस्त विक्रय धन क्रेता से सब रजिस्ट्रार के सामने प्राप्त होना है।
3. यह मैंने/हमने ₹ 000000 क्रेता से पहले प्राप्त कर लिए है। और शेष ₹ 0 (शब्दों में) ₹ 0 सब रजिस्ट्रार के सामने प्राप्त करना है। यह कि मैंने/हमने विक्रय अपने समस्त अधिकार स्वत्व और हित का तथा बिना विषय सुरक्षित रखे हुए किया है और समस्त कब्जा हस्तान्तरित कर दिया है। अब मेरा/हमारा या मेरे/हमारे उत्तराधिकारियों का नीचे लिखे कृषि भूमि में कोई अधिकार नहीं रह गया है। यह कि भविष्य में क्रेता अपना अधिकार विक्रेतागण के अधिकार और स्वत्व में किसी दोष के कारण नीचे लिखे कृषि भूमि पर कर न पावे तो विक्रय धन मग हर्जा व सर्वा सहित लौटाने तथा उनको समस्त कानूनी जिम्मेदारी गुडाको/हम-विक्रेता पर होगी। गुडाको/हममें व मेरे/हमारे वारीसान कायम मुकामान का कोई उज्र व ऐतराज न होगा। यह विक्रय पत्र लिपिवद्ध कर दिया जिससे कि प्रमाण रहे। स्टाम्प पत्र कीमती ₹ 00000 रूपया पन्नों का नक्की है। विवरण प्लॉट स्थित ग्राम- बराखड़ा परगना व तहसील गदरपुर जिला जघम सिंह नगर में है।

तहसील सम्पत्ति : तहसील - खाता नं० 325 खसरा नं० 286 रकबा 0.990 हेक्टे.

उच्च दशप्रलव एक सात शून्य हेक्टेयर) बिक्रीत आराजी के हट्टुर्वा पूरब व उत्तर में खरीदार की आराजी पार्श्विम में नहर व दक्षिण में अली मोहम्मद उर्फ मुक्कू की आराजी है।

1. विक्रीत कृषि भूमि स्थित है तथा सिंचाई नहर से होती है।
2. विक्रीत कृषि भूमि दो फसली है तथा लगान ₹ 22 रु 0 वार्षिक है।
3. विक्रीत कृषि भूमि लगे ग्राम के क्षेत्र में पड़ती है। जिसका जिले के कलक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य ₹ 250000 रु 0 प्रति एकड़ है।
4. विक्रीत कृषि भूमि में कोई पेड़ बोख निर्माण नहीं है।
5. विक्रीत कृषि भूमि जो गुडर भोज रोड 20 फीट चौड़ी से लगभग 3 कि.मी. दूरी पर स्थित है।
6. विक्रीत कृषि भूमि का पूर्व में बिक्री का कोई अनुबन्ध नहीं हुआ है/हुआ है।
7. विक्रीत अनुसूचित जाति/जनजाति का नहीं है।
8. विक्रीत कृषि भूमि/कृषि औद्योगिक प्रयोजन की है।
9. विक्रीत कृषि भूमि निकटतम गदरपुर से लगभग 3 कि.मी. दूरी पर स्थित है।
10. विक्रीत कृषि भूमि नगरपालिका सीमा से 9 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

ह 0 विक्रेता श्री गुरनाम सिंह पुत्र श्री चारा सिंह  
 1. ह 0 साक्षी व पूरा पता निवासी - बनकटा तहसील गदरपुर  
 2. ह 0 साक्षी व पूरा पता श्री इस्मान अली पुत्र श्री सुपुर्न अली निवासी बराखड़ा तहसील गदरपुर  
 आज दिनांक 28-06-2002 को व इकरार मुक्ति/मुक्ति व वित्तवत दिनेश चन्द शर्मा द्वारा लिपिवद्ध किया गया।

80 व मोहर  
 दस्तावेज लेखक  
 दिनेश चन्द शर्मा  
 दस्तावेज लेखक  
 गदरपुर इधम सिंह नगर  
 पिन- 263152 School No. 8141  
 Affiliation No. 3530182  
 Red Rose Convent School  
 Manager  
 Subhan

# उद्धरण खतीनी

शाम क्रमांक : 056050 शाम का नाम / परधाना : बराबेडा(गदरपुर)

वहसील : गदरपुर

जनपद : ऊधम सिंह नगर

कमसी बर्फ : 1428-1433

शाम : 1

1-क/पुमि ओ सक्षमणीय अधिकार वाले पुमिधारते के अधिकारसे हते

वहसील : गदरपुर

जनपद : ऊधम सिंह नगर

कमसी बर्फ : 1428-1433

शाम : 1

शाम खतीनी क्रम संख्या	अतिवार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान	पुमिधार हतेने का वर्ष	शामे के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	अतिवार द्वारा देय मालगुजारी या सयान	परिवर्तन सम्बन्धी आगा या उतपान सादांग उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आगा देने वाले अधिकारी का पद	दिखाणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
00586	नायबसिंह/साधुसिंह/नि. बराबेडा संरक्ष सिद्ध/कुलनाथपाल सिंह/नि. बराबेडा 1422ख0	1409ख0 1409ख0 1410ख0से 1417ख0से	215ख 306ख 215ख 215ख	0.6070 0.0420 0.1700 0.2030	24.85	1412ख0बादस022/15(04-05)पुमिधार0अति0सह0कले0 प्र0भे0रदरुर के शारा 143 ख0सि0एवं पु0मु0अति0 के आ0दि026-10-04 के अनुसार ख0न0215ख रकबा 0.607हे0ना014.60हे0से जो नायब सिंह पु0 साधु सिंह के नाम बर्फ 1क- संक्षमणीय पु0के खेपी में दर्ज है को अग्रुधिक घोषित किया जाता है लगान निरस्त है। ह0अ0र0का0दि028-10-04 1411ख0पुमिधार0अति0कले0प्र0भे0रदरुर के शारा 143ख0सि0एवं पु0मु0अति0के अनुसार वादस022/15 (03-04)आ0दि014/16-10-03के अनुसार ख0न0215ख0 रकबा 0.170हे0पु0आतवार नायब सिंह की अग्रुधिक घोषित की जाती है उदानुसार लगान 4.25हे0आरिज हो ह0अ0र0का0दि017-1-04 22-12-14/17-1-15 1425ख0पुमिधार0कले0प्र0भे0नी/पुमिधारपुर कैथ गदरपुर के राजस्व बाद स022/68 (17-18) नायब सिंह पु0साधु सिंह बनाम उतपराखण्ड सरकार अर्जतल शारा 143 में आदेश सि0 13-11-17 के अनुसार ख0न0215ख रकबा0 203हे0ना05.00ख0 पुमि को अग्रुधिक घोषित कर लगान से मुक्त हो ह0अ0र0 का0दि015-1-18/17-1-18 1422ख0बादस030/3944(13-14)पुमिधारसीलवार गदरपुर आ0दि015-12-14 के अनुसार ख0न0354सि0 रकबा0.016हे0 स00.40हे0 से नायब सिंह पु0 साधु सिंह का नाम आरिज कर गुणगा सिंह पुकी रसीन्ड मजाप सिंह सि0शा0 का नाम गरिसे कैनाया रजि0 बर्दीन विशेष खेपी में दर्ज है ह0अ0र0का0दि022-12-14/17-1-15	
			4	1.0220			

कुल गाटे: चार कुल क्षेत्रफल: एक दशमलव शून्य दो दो कुल मूलराजस्व: दो चार दशमलव आठ पैसे

Data Digitally Signed by : HEMRAJ CHAUHAN

सहम अधिकारी : TEHSILDAR

वहसील : गदरपुर

जनपद : ऊधम सिंह नगर

यह उद्धरण खतीनी दलेकट्टीनिक डिजीटली सिग्नेचर द्वारा शारा की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

दिनांक एवं समय : 25-04-2023 11:46:56 AM





04AA 146257

### लीज / किरायानामा 30 वर्षीय

लीज : 30 वर्षीय, मासिक किराया : 1,500/- रुपये, वार्षिक किराया : 18,000/- रुपये

स्टाम्प शुल्क : 8,640/- रुपये आ0वि0शुल्क : 2,160/- रुपये कुल योग : 10,800/- रुपये

हम कि नायब सिंह पुत्र श्री साधू सिंह निवासी ग्राम बराखेडा, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तरांचल के "प्रथम पक्ष" व रेडरोज पब्लिक स्कूल्स सोसायटी, ग्राम बराखेडा, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तरांचल द्वारा संचालित रेडरोज कान्वेन्ट स्कूल, बराखेडा, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तरांचल "द्वितीय पक्ष" हैं। जो कि रेडरोज पब्लिक स्कूल्स सोसायटी, बराखेडा, गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर के द्वारा दिनांक 16-11-2004 को श्री सुभाषचन्द गुम्बर पुत्र श्री हुकमचन्द गुम्बर निवासी गदरपुर, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, को प्रबन्धक कमेटी की कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से रेडरोज कान्वेन्ट स्कूल के पक्ष में लीज/किरायानामा पंजीकृत कराने हेतु नामित किया गया। जिसका प्रस्ताव डा0 एस0 एस0 मेहता ने रखा। और उसका अनुमोदन श्री गुरमेल सिंह ने किया। रेड रोज पब्लिक स्कूल्स सोसायटी, बराखेडा (गदरपुर) तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर

(क्रमशः पृष्ठ - 2)

*Subhas*

*Subhas*

22  
28.12.2004

नाथब सिंह पुत्र श्री लाल सिंह,  
निवासी ग्राम बरालेडा,  
तहसील गण्डा, जिला उधमसिंहनगर

उ. कोटा नगर बाजपुर  
(उधम सिंह नगर) बाजपुर  
पिन कोटा-78004  
70 DEC 2004  
बाजपुर/उधमसिंहनगर  
कोटा-78004

राजेंद्र  
**राजेंद्र बंसल**  
स्टाम्प वेन्डर  
लाइसेन्स संख्या - 17/2002  
इंदरलाल बाजपुर (उ. सि. नगर)



60 300/-  
AT 1000/-

2160000 20/12/04 1600 22000  
बनाता शु. नि. शु. प्रतिदिन शब्द लगभग याग  
श्री नाथब सिंह पुत्र श्री लाल सिंह  
पेशा पेशेवर निवासी ग्राम बरालेडा त. गण्डा  
तहसील बाजपुर ने यह लेखपत्र कार्यालय उधमसिंहनगर  
बाजपुर जिला उधमसिंह नगर में आज दिनांक 28-12-04  
राज्य समय 5 बजे दिन के प्रस्तुत किया।



हस्ताक्षर

राजेंद्र  
उप निबन्धक

बाजपुर [उधमसिंह नगर]

तहसील व तहसील इलाके से व वसूलयावी

प्रलेखनकार राजेंद्र / रूपये पूर्ण  
रूपये नकद मेरे लक्ष पाकर श्री नाथब सिंह पक्ष पर करीब 5000/-

कुमायवत 8000/- के गण्डा जिला पंच  
न बाद मुझे व राजेंद्र के नि. मा. को जर किना जिनका

पह श्री नाथब सिंह पुत्र श्री लाल सिंह  
पेशा पेशेवर निवासी बरालेडा

तह. गण्डा व श्री राजेंद्र पुत्र श्री लाल सिंह  
पेशा नि. शु. नि. गण्डा तह. गण्डा  
ने की।

राजेंद्र  
28/12/04





— 2 —

उत्तरांचल सोसायटीज अधिनियम के अधीन पंजीकृत है। जिसका पंजीयन 108/1988 - 89 एवं नवीनीकरण संख्या 184/2003 - 04 व पत्रावली संख्या 00764H है। जो कि प्रथम पक्ष की आराजी बाके मौजा बराखेडा तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तरांचल स्थित खसरा नम्बर 215 क रकबा - 0.170 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 215 घ रकबा - 0.607 हैक्टेयर कुल रकबा 0.777 हैक्टेयर आराजी दर्ज कागजात माल है। जो कि न्यायालय परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, रुद्रपुर के आदेशानुसार वाद संख्या 22/15 (03 - 04) के द्वारा अकृषिक घोषित की गयी है। उक्त वर्णित आराजी में वर्तमान समय में भूमि पर कुल 15 कमरे लगभग 5 वर्ष पुराने साधारण निर्माण के बने हुए हैं। उक्त आराजी व उसमें निर्मित कक्ष "प्रथम पक्ष" की तन्हा मिलिकियत है और इस दम तक हर तरह के बार, रहन बै वगैरह से कतई बरी व पाक साफ है। जिसको "प्रथम पक्ष" द्वारा "द्वितीय पक्ष" को निम्नलिखित अनुबन्धों के आधार पर किराये/लीज पर देने का इकरार किया गया है और "द्वितीय पक्ष" द्वारा निम्नलिखित अनुबन्धों पर किराये/लीज पर लेने का इकरार किया गया है। जिनके दोनों पक्ष व उनके वारिसान अथवा पदाधिकारी पाबन्द रहेंगे :-

*Lab*

*Sehane*

23  
28/12/2004

*Rajiv Bhatnagar*  
**राजीव बत्तल**  
स्टाम्प वेन्डर  
लाइसेन्स संख्या - 17/2002  
बदसोल बाजपुर (न० सि० नगर)

उपकोषागार-बाजपुर  
(उधम सिंह नगर) उत्तरांचल  
कम नं०.....  
20 DEC 2004  
*[Signature]*  
उपकोषागार/उपकोषाधिकारी  
कोट-7504

*Rajiv*

*Subhan*

*Gurpreet*

*[Signature]*



राज्य : उत्तरांचल  
जिला : मुक्तेश्वर  
तहसील : बदसोल  
दिनांक : 20/12/04  
[Signature]





— 3 —

- (1) यह कि किरायेदारी की अवधि दिनांक 01-12-2004 से आगे दिनांक 30-11-2034 ई0 तक 30 (तीस वर्ष) की रहेगी।
- (2) यह कि दोनों पक्षों की बीच किराया 1,500/- रूपया (पन्द्रह सौ रूपये केवल) मासिक तय हुआ है। जो कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक अदा कर रसीद बाजप्ता प्राप्त करते रहने के लिये बाध्य रहेंगे। जुबानी उज्र आदयगी कतई नाजायज व गैरकानूनी होगी।
- (3) यह कि किराये के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स तथा अन्य कोई टैक्स जो भी उक्त वर्णित आराजी व उसमें निर्मित कक्षों पर भविष्य में प्रदेश सरकार/जिलापंचायत या नगर पालिका परिषद् गदरपुर द्वारा या किसी के भी द्वारा लागू किया जायेगा उसका भुगतान करेगा और उसकी भी रसीद बाजप्ता प्रथम पक्ष से प्राप्त करता रहेगा।
- (4) यह कि इस कक्ष की सालाना मरम्मत तथा रंगाई - पुताई आदि की पूर्णतः जिम्मेवारी अपने खर्चे से द्वितीय पक्ष की होगी और द्वितीय पक्ष इन कक्षों की हैसियत को किसी भी प्रकार से नहीं बिगाड़ेगा और इसमें कोई भी ऐसा कार्य व व्यापार नहीं करेगा जिससे इन कक्षों की कोई हैसियत बिगड़े अथवा प्रथम पक्ष की साख खराब हो।

*Law*

*Subhan*

(क्रमशः पृष्ठ - 4)

24  
28.12.2004 आ.नं. 222

*Rajiv Bansi*  
राजाव बंसल

स्टाम्प वेन्डर  
लाइसेन्स संख्या - 17/2002  
महसल बाजपुर (उ.सि.नगर)

उपकोषागार-आजपुर  
(उद्यम सिव्हा नगर) महसल  
उप सं०.....  
27 DEC 2004  
उपरोक्षिया/उपकोषागारो  
कोट-7304





— 4 —

- (5) यह कि "द्वितीय पक्ष" को उक्त वर्णित आराजी व उस पर निर्मित कक्षों को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार किराये पर देने अथवा किराये पर उठाने का या किसी को भागीदार बनाने का भी कोई अधिकार न होगा।
- (6) यह कि उक्त वर्णित आराजी व उसमें निर्मित कक्षों में किसी भी प्रकार की कोई तोड़-फोड़ या परिवर्तन करने का कोई अधिकार द्वितीय पक्ष को नहीं होगा। इस समय द्वितीय पक्ष की सुविधा के लिये जो भी अतिरिक्त निर्माण या परिवर्तन हुआ है, वह प्रथम पक्ष की लागत से है, द्वितीय पक्ष को इसके निर्माण से कोई वास्ता नहीं है। यदि द्वितीय पक्ष इन कक्षों में पुर्ननिर्माण अथवा इनके अतिरिक्त अन्य कक्षों का निर्माण अथवा कार्यालय आदि का निर्माण करता है तो वह प्रथम पक्ष की सहमति से व द्वितीय पक्ष द्वारा अपने खर्चे से किया जा सकेगा।
- (7) यह कि वर्तमान समय में उक्त कक्षों में विद्युत के कनेक्शन में मासिक जितनी भी बिजली खर्च होगी उसके बिल का भुगतान भी द्वितीय पक्ष के द्वारा होगा। विद्युत उपभोग के सम्बन्धी विवाद व उसके हर्जे-खर्चे की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

*Subhan*

*Subhan*

(क्रमशः पृष्ठ - 5)

50.00

25  
28.12.2004 27.12.2004



*Rajiv Basal*  
**राजाव बसल**

स्टाम्प वेन्डर  
लाइसेन्स संख्या - 17/2002  
बद्रसोल बाजपुर (ऊ० सि० नगर)





— 5 —

- (8) यह कि इस किरायेनामे की अवधि तीस वर्ष की रहेगी। अतः अवधि समाप्त होने के पश्चात् इस किरायेनामे./लीज की अवधि को पुनः बढ़ाया जा सकता है। किन्तु यदि दोनों पक्ष इस अवधि को बढ़ाने हेतु सहमत न हों तो द्वितीय पक्ष इस आराजी व उसमें निर्मित कक्षों को खाली करके कक्ष पर कब्जा प्रथम पक्ष को शान्तिपूर्ण ढंग से करा देंगे। कोई बाधा उत्पन्न करने का द्वितीय पक्ष को लेशमात्र भी अधिकार न होगा तथा प्रथम पक्ष स्वयं अथवा न्यायालय द्वारा जिस प्रकार भी चाहें कब्जा द्वितीय पक्ष से अवधि समाप्त होने पर ले सकते हैं।
- (9) यह कि यदि "द्वितीय पक्ष" विद्यालय के विस्तार एवं उन्नति के लिये किसी भी वित्तीय संस्था अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, निगम अथवा सोसायटी से किसी भी प्रकार का कोई ऋण या सरकार से अनुदान या सहायता आदि प्राप्त करते हैं तो उस ऋण व उस पर देय ब्याज का किश्तवार अथवा कुल भुगतान मय ब्याज के अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी "द्वितीय पक्ष" की होगी। प्रथम पक्ष का उस ऋण एवं उस पर देय ब्याज से कोई सरोकार न होगा और अगर विद्यालय के विस्तार हेतु या विद्यालय के हित में प्रथम पक्ष बैंक से ऋण लेकर अपने खर्चे से उसमें द्वितीय पक्ष की सहमति से कोई निर्माण कराते हैं तो उसके निर्माण में जो भी खर्चा होगा उसका भुगतान द्वितीय पक्ष को मय बैंक ब्याज के करना होगा।

*Handwritten signature*

*Sushane*

(क्रमशः पृष्ठ - 6)

50/-

26 शा.नं. 225  
28.12.2004

*Rajeev Bansal*  
राजाव बंसल

स्टाम्प वेन्डर  
लाइसेन्स संख्या - 17/2002  
गढ़साल बाजपुर (क. वि. नगर)

उपकोषाचार्य  
(सदर विद्यापीठ)  
उप विद्यापीठ  
11  
गढ़साल बाजपुर (क. वि. नगर)







— 6 —

- (10) यह कि यदि द्वितीय पक्ष 3 माह (तीन माह) तक लगातार किराया नहीं देता है, तो प्रथम पक्ष को इस आधार पर भी "द्वितीय पक्ष" को बेदखल करने का अधिकार होगा।
- (11) यह कि किसी उपरोक्त अनुबन्धों को तोड़ने के कारण अथवा किरायेदारी/लीज की अवधि समाप्त होने पर कब्जा न देने के कारण अगर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष के विरुद्ध न्यायालय से उसको बेदखल करने की कार्यवाही के लिये बाध्य होना पड़ेगा तो प्रथम पक्ष के हर्जे खर्च की अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
- (12) यह कि किरायेदार किरायानामा लिखवाने और पंजीकृत करवाने के खर्च को दोनों पक्ष आधा-आधा वहन करेंगे।

उक्त वर्णित आराजी में लगभग 5300 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र है तथा शेष भूमि खाली है।

उक्त वर्णित आराजी के हद्दूर्वा :- पूरब में वकील अहमद की कृषि भूमि, पश्चिम में नहर, उत्तर में प्रवीण की कृषि भूमि तथा दक्षिण में सिफ्ते अली की भूमि है।

अतः यह किरायानामा/लीज दोनों पक्षों के बीच दिनांक 29-12-2004 ई0 को राजीव बन्सल द्वारा टंकित किया गया है। ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

*Kal*

*Sunhau*

(क्रमशः पृष्ठ - 7)

27 शा.न. 22क  
28.4.12-2004

50.00

*Praveen Bansal*  
**राजीव बंसल**  
स्टाम्प बेन्डर  
लाइसेन्स संख्या - 17/2002  
इलाहाबाद बाजपुर (ऊ.सि.नगर)

उपरोक्त लिखित पत्रिका/पत्रिका/पत्रिका  
(उपरोक्त लिखित पत्रिका/पत्रिका/पत्रिका)  
श.सं. ....  
(1) 2004  
पत्रिका/पत्रिका/पत्रिका  
जो.सं. 7804





— 7 —

कर्त्तागण :

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष) :

*[Handwritten signature]*

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष) :

*[Handwritten signature]*

हस्ताक्षर मजमूनकर्ता :

मिथलेश कुमार कश्यप,

दस्तावेज लेखक, बाजपुर, ऊधमसिंहनगर

*[Handwritten signature]*

हस्ताक्षर टाइपकर्ता :

राजीव बन्सल,

बाजपुर, ऊधमसिंहनगर

*[Handwritten signature]*

हस्ताक्षर — गवाह (1)

गुरनाम सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह

निवासी ग्राम कनकटा, तहसील गदरपुर

जिला ऊधमसिंहनगर।

*[Handwritten signature]*

हस्ताक्षर — गवाह (2)

मिथलेश कुमार कश्यप


दस्तावेज लेखक, तहसील बाजपुर

जिला ऊधमसिंहनगर।

*[Handwritten signature]*

28  
28.12.2004 21.12.22

50.00



*Rajiv Bansal*  
**राजीव बंसल**  
स्टाम्प बेन्डर  
लाइसेन्स संख्या - 17/2002  
हिसाल बाजपुर (ऊ० सि० नगर)

आज दिनांक 29-12-2004 को  
फोटो रहे, परि नुराक सं०  
सं० 361 के लिए 178-192 पर  
कम सं० 3004 पर रजिस्ट्रीकृत  
किया गया है।

*[Signature]*

उप निबन्धक  
बाजपुर

